

RASHTRAPATI BHAVAN,  
NEW DELHI.

August 16, 1975  
Shravana 20, 1897

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 7 of the Constitution, the president hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and twelfth Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Second schedule to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, -

(A) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (KRISHI AUR SINCHAI MANTRALAYA)",

(i) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (KRISHI VIHAG)", in Part I after entry 13D, the following entry shall be inserted, namely:-

"13E. Indian peoples' Famine Trust.";

(ii) under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF FOOD (KHADYA VIHAG)", entry 10A shall be omitted.;

(B) under the heading "MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE (SHIKSHA AUR SAMAJ KALYAN MANTRALAYA)", under the sub-heading

"B. DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SAMAJ KALYAN VIHAG)", for entry 7 the following entry shall be substituted, namely:-

"7. Coordination of National Nutrition Programme, Nutrition feeding of pre-school children and Nutrition education of women.";

(C) under the heading "MINISTRY OF ENERGY (OORJA MANTRALAYA)", under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF COAL (KOYALA VIBHAG)", for entry 8 the following entry shall be substituted, namely:-

"8. Administration of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 and other Union laws in so far as the said Act and laws relate to coal and lignite and sand for stowing; business incidental to such administration including questions concerning various States."; and

D) under the heading "MINISTRY OF STEEL AND MINES (ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA)", under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF MINES (KHAN VIBHAG)", for entry 7 the following entry shall be substituted, namely:-

"7. Regulation of mines and development of minerals, other than coal and lignite and sand for stowing, under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, and other Union laws including questions concerning various States and incidental business in respect of these.".

F. A. AHMED  
PRESIDENT.

सं. 770/75

राष्ट्रपति भवन  
नई दिल्ली

16 अगस्त, 1975  
25 श्रावण, 1897

अधिसूचना

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आर्बंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य आर्बंटन) (स्क सौ बारहवा संशोधन) नियम, 1975 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आर्बंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में, ---

(क) "कृषि और सिंचाई मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत,

(1) "क-कृषि विभाग" उप-शीर्षक के अधीन, भाग I में,

प्रविष्टि 13-ब के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्

"13-द. भारतीय जन दृष्टि न्यास।";

(II) "अ-आद्य विभाग" उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 10-क का लोप कर दिया जायेगा।;

(ख) "शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत,

"अ-समाज कल्याण" उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 7 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"7. राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम का समन्वय। प्राविद्यालय बालकों का आहार पोषण और महिलाओं को पोषाहार शिक्षा।";

(ग) "उर्जा मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "अ-कोयला विभाग" उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"8. खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा अन्य संघ विधियों का वहाँ तक प्रशासन, जहाँ तक कि उक्त अधिनियम तथा उक्त विधियों का संबंध कोयले और लिग्नाइट तथा भरणार्थ बालू से है; विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित प्रश्नों सहित उक्त प्रशासन के अनुषंगी कार्य ।"; और

(ख) "इस्पात और खान मंत्रालय" शीर्षक के अंतर्गत, "ख. खान विनियमन अधिनियम, 1957" शीर्षक के अधीन, प्राविष्टि 7 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

7. खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा अन्य संघ विधियों के अधीन, खानों, तथा कोयले और लिग्नाइट तथा भरणार्थ बालू से भिन्न, खनिजों के विकास और विनियमन, जिसके अन्तर्गत विभिन्न राज्यों से सम्बन्धित प्रश्नों सहित इनके बारे में अनुषंगी कार्य हैं ।"

(फखरुद्दीन अली खान,  
राष्ट्रपति)